	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/10/19	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0। उभय पक्ष को सुना। वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी की खातेदारी के खेत मौजा पीथाकर तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 1042, 1122/1042 रकबा 53.06, 9.14 बीघा कुल रकबा 63.00 बीघा भूमि किस्म बा0चा0 का आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी पक्षकरान की संयुक्त एवं अविभाजित खातेदारी की भूमि है जिसमें पक्षकारों के मध्य कब्जे काश्त को लेकर कोई विरोधाभास नही है। वादी एवं प्रतिवादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी विरासत मे प्राप्त हुई है। वादी का नाम राजेन्द्रसिह पुत्र मानसिह के स्थान पर वादी का नाम रामसिंह पुत्र मानसिह दर्ज कर दिया। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्विकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पैरोकार को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार गडरारोड़ ने अपने जबाव मे वादी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। वादी ने ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबदी, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम राजेन्द्रसिह पुत्र मानसिह ही है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 1042, 1122/1042 रकबा 53.06, 9.14 बीघा भूमि, किस्म बा0चा0 मौजा पीथाकर, तह0 गडरारोड़ की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम रामसिंह पुत्र मानसिह के स्थान पर राजेन्द्रसिंह पुत्र मानसिह घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलं शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। (signature) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला–बाड़मेर	

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6—7, जाब्ता)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 31 / 2019

अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राजेन्द्रसिह पुत्र मानसिंह, जाति—राजपूत, नि0 अकली तह0 गडरारोड़ हाल नि0 सिलोर तह0 सिवाना जिला बाडमेर		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गडरारोड़ 2. अमरसिह पुत्र मानसिह 3. लखसिह पुत्र मानसिह 4. उदयसिह पुत्र मानसिह जाति—राजपुत, नि0 अकली तह0 गडरारोड़, हाल नि0 सिलोर तह0 सिवाना 5. सवाईसिंह पुत्र महादानसिह 6. प्रतापसिंह पुत्र महादानसिंह जाति—राजपुत, नि0पीथाकर अकली तह0 गडरारोड़ 7. शाखा प्रबधंक बी.सी.सी.बी. शाखा —गडरारोड़

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— 1. श्री ब्रजमोहन कुमावत एडवोकेट— वादी।

2. प्रतिवादी पैराकार उप0।

अन्तिम डिकी

वादी एवं प्रतिवादी को आज दिनांक 21.10.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि:—

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 1042, 1122 / 1042 रकबा 53. 06, 9.14 बीघा मौजा पीथाकर, तह0 गडरारोड़ की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम रामसिह पुत्र मानसिह के स्थान पर राजेन्द्रसिंह पुत्र मानसिह घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 21.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:53:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: